विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर

---

12 (क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल न किये जाने से समय-समय पर राज्य कर्मचारियों द्वारा धरना प्रर्दशन किया जाता है?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो क्या पुरानी पेंशन योजना बहाल किये जाने पर विचार करेंगे?	जी नहीं।

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री।

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 के उत्तर हेतु अनुपूरक सामग्री

- दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त केन्द्र सरकार की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश शासन के गजट नोटीफिकेशन संख्य–सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28-03-2005 के क्रम में राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोंषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में 01-04-2005 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (पूर्व में नई पेंशन योजना) से आच्छादित हैं।
- दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात् सेवा में योगदान करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं-आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 तथा आई0एफ0एस0 के अधिकारीगण भी नई पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित हैं।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान पर आधारित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत कार्मिक के मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते के कुल योग के 10 प्रतिशत का अंशदान कार्मिक द्वारा किया जाता है तथा उसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा कार्मिक के मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते के कुल योग का 31 मार्च, 2019 तक 10 प्रतिशत तथा उसके पश्चात 14 प्रतिशत का अंशदान किया जाता है।
- कुल अंशदान को भारत सरकार द्वारा स्थापित पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के निर्देशानुसार NPS Trust को ट्रस्टी बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उक्त धनराशि NPS Trust द्वारा पेंशन प्रबंधकों को PFRDA के निर्देशानुसार निवेशित किये जाने हेतु उपलब्ध कराई जाती है। पेंशन प्रबन्धन के लिये निम्नांकित पेंशन प्रबंधक नामित है:-
  1- SBI Pension Fund Scheme
  2- UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme
  3- LIC Pension Fund Scheme
- माह अगस्त, 2022 तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कुल 5,39,607 सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व राज्य वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के 3,05,333 कर्मचारियों का पंजीकरण किया जा चुका है।
- राजकीय कर्मचारियों के संबंध में माह अगस्त, 2022 तक रू0 25,851 करोड़ की धनराशि जमा है, जिसमें कर्मचारी अंश रू0 11,647 करोड़ तथा राजकीय अंश रू0 14,204 करोड़ है।

- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं राज्य वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के संबंध में माह अगस्त, 2022 तक रू0 11,771 करोड़ की धनराशि जमा है, जिसमें कर्मचारी अंश रू0 4,891 करोड़ तथा राजकीय अंश रू0 6,880 करोड़ है।
- **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधायें-**
    - ग्रेच्युटी,
    - अवकाश नगदीकरण,
    - सामूहिक बीमा योजना,
    - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति,
    - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित किसी कार्मिक की मृत्यु सेवा काल में होने पर मृतक के आश्रितों को यह विकल्प उपलब्ध है कि वे पुरानी पेंशन योजना में अनुमन्य पारिवारिक पेंशन अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।
    - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत पेंशन खाते (टियर-1 खाता) के अतिरिक्त जी0पी0एफ0 की भांति टियर-2 खाता खोलने का प्रावधान है। टियर-1 खाते में जमा धनराशि के प्रबन्धन की भांति ही टियर-2 खाते में जमा धनराशि का प्रबन्धन किया जाता है ।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों, संगठित क्षेत्र के कार्मिक तथा सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लायी गयी है।
- शासनादेश संख्या-07/2022/आई/154858-2022-फा0नं0-10-22099/1407/2020-22 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि सेवाकाल में मृत्यु की दशा में यदि दिवंगत कार्मिक के परिवार द्वारा पारिवारिक पेंशन की सुविधा का वरण किया जाता है, तो दिवंगत कार्मिक के एन0पी0एस0 खातें में जमा कर्मचारी का अंश उस पर अर्जित प्रतिफल (रिटर्न) सहित उसके परिवार को लौटा दिया जायेगा। इसके पूर्व कर्मचारी अंश तथा नियोक्ता अंश दोनों को ही राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था थी। इस संशोधन से एन0पी0एस0 को और अधिक उदार बनाया गया है।
- एन0पी0एस0 खाते में जमा धनराशि का 85 प्रतिशत भाग पूर्णतया सुरक्षित और निश्चित रिटर्न देने वाली सरकारी प्रतिभूतियों में तथा अधिकतम 15 प्रतिशत धनराशि का निवेश अंशकों में किये जाने का प्रावधान है।